

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक : 28-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-10(7)ब दिनांक-15.05.17, 61(7)ब दिनांक-18.09.17, 71(7)ब दिनांक-25.09.17, 116(7)ब दिनांक-18.12.17 एवं 117(7)ब दिनांक-22.12.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।


28/12/17

7. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर-भुगतान करें। भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है। भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,


28/12/17


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 123 (7)A

पटना, दिनांक : 28-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित


28/12/17
सरकार के विशेष सचिव
(9)

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता मदों में अतिरिक्त आवंटन (अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरपुर	1200000	1584000	210000	2000	4000	3000000	स्व0 डा0 नारायण पंडित, पत्नी-शान्ति देवी
	कुल	1200000	1584000	210000	2000	4000	3000000	

(तीस लाख) रू0 मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	49965000	47150000	1200000	48350000	1615000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	67453000	59105000	1584000	60689000	6764000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	24982000	17500000	210000	17710000	7272000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	94000	46000	0	46000	48000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	240000	220400	2000	222400	17600
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	999000	861176	4000	865176	133824
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.06.001.0001.01 वेतन	144233000	124882576	3000000	127882576	16350424
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	450000	0	0	0	450000
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	850000	335000	0	335000	515000
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	1000000	490000	0	490000	510000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1275000	735000	0	735000	540000
12	दूरभाष (0001-13-03)	350000	185000	0	185000	165000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	4100000	3260000	0	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	900000	152000	0	152000	748000
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	100000	65000	0	65000	35000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	495000	495000	0	495000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	450000	255000	0	255000	195000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	155329000	130854576	3000000	133854576	21474424

123 (A) 9

28-12-17

सरकार के विशेष सचिव